न्यायालय– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)

डॉ. अशोक पुरोहित बनाम तहसीलदार वगै०

दीवानी विविध प्र० (सी.आई.एस. नं.– 16/2026)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिएल्स जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.2026	प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री मुकेश भातरा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द माहिचा व अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान् अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा उपस्थित। बहस अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की गई । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्न तीन बिंदुओं पर अपना विनिश्चय देना है:– **1– प्रथम दृष्ट्या मामला।** **2– सुविधा का संतुलन।** **3– अपूर्णीय क्षति।** इन उपरोक्त बिंदुओं पर न्यायालय का विनिश्चय क्रमवार निम्नानुसार है। **1– प्रथम दृष्ट्या मामला:–** दोनों पक्षों को सुने जाने के पश्चात् इस सम्बन्ध में न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति को प्रार्थी ने पट्टा संख्या 76, 39, 78 व 61 की भूमि होकर क्रमशः अपने, अपनी पत्नी व अपने परिजन बृजसुन्दर व अमित कुमार के नाम के यह भूखण्ड होना और इन पर स्वयं का वैध व स्थापित कब्जा होना अभिवचित किया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर यह आक्षेप लगाया है कि यह गलत रूप से इन्हें वन क्षेत्र की भूमि बताकर प्रार्थी के निर्माण को ध्वस्त करने पर आमादा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से यह पक्ष कथन रहा है कि खसरा नम्बर 210 का पुराना खसरा नम्बर 32/2 रहा है और यह तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.01.1975 को आबादी विस्तार के लिये 4 बीघा भूमि ग्राम पंचायत को सुपुर्द की गई थी। अप्रार्थी संख्या 2 का यह पक्ष कथन रहा है कि विवादित सम्पत्ति	

	खसरा नम्बर 32 का भाग है, जो कि वन विभाग की भूमि है जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 22.12.1966 को हो चुका है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पट्टे किस स्थान से संबंधित हैं यह भी प्रकट नहीं होता है। वन विभाग की भूमि में किसी को भी पट्टा जारी करने का अधिकार भी नहीं है। दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों का अवलोकन करें तो उसमें प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित भूमि को प्रार्थी ने खसरा नम्बर 210 कस्बा फतेहपुर की भूमि का भाग होना अभिवचित किया है और इस सम्बन्ध में पट्टा संख्या 76 स्वयं के, 39 अपनी पत्नी के तथा 78 व 61 अपने परिजन बृजसुन्दर व अमित कुमार के नाम से वर्ष 1986 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाना अभिवचित किया है। प्रार्थी के सम्पूर्ण अभिवचनों से यह भी प्रकट नहीं होता है कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा यह पट्टा जारी किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त पट्टों की फोटो प्रतियों को अवलोकन करें तो यह पट्टे किस स्थान की भूमि से संबंधित है, यह भी इनके अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। साथ ही यह पट्टे आबादी भूमि के विक्रय विलेख के बाबत निष्पादित किये जाने दर्शित होते हैं, परन्तु इनमें दर्ज इबारत अनुसार यह निशुल्क आवंटित किये गये हैं। इस प्रकार यह पट्टे अपने आप में ही विरोधाभासी हैं,क्योंकि जब आबादी भूमि के विक्रय के ये पट्टे हैं तो किसी भी प्रकार से निशुल्क नहीं हो सकते। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण रहेगा कि खसरा नम्बर 32 बीड़ फतेहपुर की भूमि सक्षम प्राधिकारी/ राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन के जरिये वर्ष 1966 में दिनांक 22.12.1966 को ही वन भूमि के रूप में दर्ज हो चुकी थी तथा निर्विवादित रूप से खसरा नम्बर 32/2, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 210 है, खसरा नम्बर 32 का ही भाग है। इस कारण जब वर्ष 1966 में खसरा नम्बर 32 वन विभाग के नाम रक्षित वन भूमि	

	के तौर पर दर्ज हो गया था तो 1975 या उसके पश्चात् तहसीलदार को रक्षित वन क्षेत्र की भूमि किसी अन्य पक्ष को अंतरित करने का अधिकार प्रथम दृष्ट्या था ही नहीं। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण रहेगा कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–3(30) वन/2023 जयपुर, दिनांक 07.10.2023 का अवलोकन करें तो उसमें खसरा नम्बर 210 बीड़ फतेहपुर की भूमि कन्जरवेशन रिजर्व / रक्षित वन क्षेत्र की भूमि घोषित की हुई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उक्त दस्तावेजात ही प्रथम दृष्ट्या विवादग्रस्त भूमि रक्षित वन क्षेत्र की भूमि होना प्रकट होता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टे इस भूमि से संबंधित हों यह प्रकट नहीं होता है। परिणामतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है। **2 व 3– सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षतिः–** सुविधा की दृष्टि से व दौहराव को रोकने के लिए इन दोनों बिंदुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।उपरोक्त विवेचनानुसार चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया गया है और विवादग्रस्त भूमि प्रथम दृष्ट्या रक्षित वन क्षेत्र की भूमि पाई गई है। इस प्रकार प्रार्थी के व्यैक्तिक हितों को रक्षित वन क्षेत्र की भूमि के सम्बन्ध में सार्वजनिक हितों पर अधिमान नहीं दिया जा सकता है। इस कारण ये दोनों बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रसारित नहीं किये जा सकते हैं। चूंकि उपरोक्त तीनों बिंदु उपरोक्तानुसार प्रार्थी के विरूद्ध तय किये गये हैं। इस कारण प्रार्थी का हस्तगत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है। **आदेश** फलतः प्रार्थी/डॉ० अशोक पुरोहित की ओर से	

	प्रस्तुत हस्तगत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध अप्रार्थीगण तहसीलदार वगै० उपरोक्तानुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल–वाद रहे। **(अजय कुमार पूनिया)** वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फतेहपुर, जिला सीकर।	